

22-02-2017

17.04.2017

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सुनवाई हेतु दोनों अतिक्रमणकारी अनुपस्थित रहे। अतिक्रमणकारियों की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि अतिक्रमित भूमि के सन्दर्भ में कोई वजह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सर्वसाधारण खाते की भूमि होने के कारण अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा (6) की उपधारा 1 (e) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु उच्छेदानादेश पारित किया जाता है। अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस निर्गत करें कि नोटिस प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर स्वयं अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा आई0 पी0 सी0 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अभिलेख दिनांक 04-05-2017 को उपस्थापित करें।

लेखापित,

अंचल अधिकारी  
पटमदा।

30/5/20

अभिलेख उपस्थापित। अतिक्रमित भूमि का स्थल निरीक्षण स्वयं में किया है पाया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं वाद में निर्दिष्ट अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

अतः वाद की आशे की कार्रवाई को सम्पन्न की जाती है।  
लेखापित एवं संशाक्षित

अंचल अधिकारी  
पटमदा

लेखापित  
अंचल अधिकारी  
पटमदा